

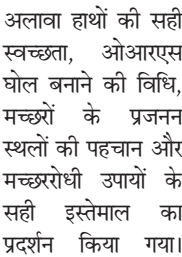
एस्परी बोले— हर पहलू की हो रही निष्पक्ष जांच पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से तहरीर भी प्राप्त हुई है। वीडियो में किए गए दावों, कथित अर्थिक लेनदेन, डिजिटल सक्षमों तथा तहरीर में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

केजीएमयू में संचारी रोगों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान

भजन प्रवाह और कथक नृत्य ने बांधा समां, 22 गुरुजनों का हुआ सम्मान

लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के इन्फोर्माटोलॉजी विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के विशेष संचारी रोग नियंत्रण विभाग के सहयोग से 'संचारी रोगों' पर दस्तक अभियान के तहत शनिवार का विशेष शोध जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय 'मलेरिया' था। इसका उद्देश्य मासूमों के दौरान बढ़ते हुए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम एवं बचाव के प्रति जनता में जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन माइक्रोबायोलॉजी विभाग काह्य प्रो. एम.एस. शर्मा के नेतृत्व में किया। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए केवल चिकित्सा सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनजागरूकता भी बेहद जरूरी है। लोगों को पर्याप्त रूप से आसपास स्वच्छता बनाए रखने और संचारी रोगों से बचाव के उपायों को अपनाने और जागरूक होना होगा। उन्होंने बताया कि

लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के इन्फोर्माटोलॉजी विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के विशेष संचारी रोग नियंत्रण विभाग के सहयोग से 'संचारी रोगों' पर दस्तक अभियान के तहत शनिवार का विशेष शोध जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय 'मलेरिया' था। इसका उद्देश्य मासूमों के दौरान बढ़ते हुए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम एवं बचाव के प्रति जनता में जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन माइक्रोबायोलॉजी विभाग काह्य प्रो. एम.एस. शर्मा के नेतृत्व में किया। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए केवल चिकित्सा सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनजागरूकता भी बेहद जरूरी है। लोगों को अपने-अपने घरों में सफाई बनाए रखने और संचारी रोगों से बचाव के उपायों को अपनाने की आवश्यकता होना होगा। उन्होंने बताया कि

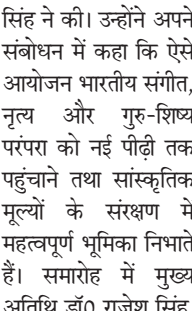


ड्यू फैलाने वाला एडीज मच्छर गंदे पानी में नहीं, बल्कि साफ और स्के हुए पानी में पनपता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रत्येक सप्ताह अपने घरों और आसपास जमा पानी की जांच करें। कूलर, गमले, बाल्टी, छत की टंकी, पुराने टायर और अन्य स्थानों पर जमा पानी को नियमित रूप से हटाएं। उन्होंने कहा कि सप्ताह में केवल दस मिनट का निरीक्षण भी मच्छरों के प्रजनन को रोकने में काफी प्रभावी साबित हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एमडी रंजिंदेंट डॉक्टरों ने संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण विषय पर पोस्टर प्रस्तुति दी। इसके

अलावा हाथों की सही स्वच्छता, ओआरएस घोल बनाने की विधि, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान और मच्छररोधी उपायों के सही इस्तेमाल का प्रदर्शन किया गया।

जागरूकता कार्यक्रम में 'मिथक बनाम तथ्य' सत्र और इंटरएक्टिव विज्ञान का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को संचारी रोगों से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लोगों के सवालों के जवाब दिए। विशेषज्ञ परिचर्चा में मानसून के दौरान होने वाले संक्रमणों की पहचान, समय पर चिकित्सकीय परामर्श, एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग और एंटीमाइक्रोबियल रजिस्ट्रेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच और उपचार

कारणा गंभीर जटिलताओं से बचा सकता है। सम्पूर्ण अवसर पर मास्कोबायोलेजी विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. शीतल वनम ने कहा कि मानसून में बुखार के शुरुआती 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लगातार रहने वाले बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और बिना चिकित्सकीय सलाह के देवा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने, अनावश्यक एंटीबायोटिक के प्रयोग से बचने और समय पर जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच कराने से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस और वायरल संक्रमणों की सही पहचान संभव होती है, जिससे मरीज को उचित इलाज समय पर मिल पाता है। कार्यक्रम में डा. आर.के. कल्याण, प्रो. प्रशांत गुप्ता, डॉ. पारुल जैन, डॉ. सुरजित शुक्ला, डॉ. वसुधा केसरवानी, डॉ. सर्वोदय त्रिपाठी सहित विभाग के सक्रीय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, छात्र-छात्राएं, वैज्ञानिक, शोधार्थी और कर्मचारी उपस्थित रहे।



नरु शमां कः निर्देशनं मे 'पुष्य वाटिका प्रसंग' पर आधारित समूह कथक नृत्य को मनोहारी प्रस्तुति दी गई। कलाकारों की उत्कृष्ट भावभाविव्यक्ति, लयबद्धता और आकर्षक मंच-सज्जा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के दौरान संगीत एवं कला जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 22 गुजराती लोगों को भातखण्डे एलुमिनी एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके योगदान को नमन करते हुए सम्मान और कुतूहल व्यक्त की गई। कार्यक्रम का अध्यक्षता भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो० मांडवी

प्रमुख सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश तथा विशिष्ट अतिथि राजेश जायसवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि, कलाकार, संगीत प्रेमी और श्रोतागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पूनम श्रीवास्तव ने किया। अंत में धातुराखण्ड एलुमिनी एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा भारद्वाज एवं सचिव गिरिश चन्द्र बहुगुणा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। परिणामय वातावरण में संपन्न यह समारोह संगीत और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण बन गया।

राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किए जाने की मांग तेज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को महासंघ के अध्यक्ष सीता कुमार पंडे ने अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग को विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष सीता कुमार पांडे एवं कार्यकारी निदेशक सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि देश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। वहीं हजारों कर्मचारी लगातार निवृत्ति हो रहे हैं, जिससे एक ओर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ रहा है और दूसरी ओर अनुभवी कर्मियों की कमी के कारण भागीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को भीति राज्य कर्मचारियों की सेवा

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को महासंघ के अध्यक्ष सीता कुमार पंडे ने अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग को विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के अध्यक्ष सीता कुमार पांडे एवं कार्यकारी निदेशक सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि देश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। वहीं हजारों कर्मचारी लगातार निवृत्ति हो रहे हैं, जिससे एक ओर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ रहा है और दूसरी ओर अनुभवी कर्मियों की कमी के कारण भागीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को भीतर राज्य कर्मचारियों की सेवा



निवृत्ति आयु भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए तो शासन को अनुभवों के दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं अतिरिक्त दायें तक प्राप्त होती रहेंगी। इससे शासनात्मक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी, विभागों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा रिक्त पदों के कारण उत्पन्न समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा भी लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुभव कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार को इस विषय पर सकारात्मक

निर्णय लेना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर राज्य कर्मचारियों की सेवा निर्वाह आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जैसी की मांग की जाएगी। महासंघ ने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी हित एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मांग पर शीघ्र विचार करेगी। उमा निगम, अकिल, राईद, बरवलू, मेरिग शकुला, दिव्या रानी, अजय कुमार धनुक, सुजीत कुमार, अमन कुमार, धर्मेन्द्र सिंह शांति मिश्रा, मो० रफीक, आशुतोष अवस्थी आदि शामिल रहे।

पुलिसकर्मी की पिटाई से नाराज़ युवक चढ़ा टॉवर पर

पुलिस ने 2 घंटे बाद उतारा, हिरासत में लेकर की पूछताछ

सीतापुर। जनपद सीतापुर में शनिवार सुबह करीब 12 बजे 24 साल का युवक 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह टावर के टॉप पर जाकर बैठ गया। लोगों की नजर पड़ी तो मौके पर भीड़ लाग गई। युवक ने आरोप लगाया था कि जनेपुर की शिकावत नहीं सुनी गई। एक लेसकर्मि ने उसे थपड़ मार दिया। उसने लेस के प्रधान पर भी कई आरोप लगाई। लेस ओए परिजनों के समझाने पर करीब 1 घंटे बाद युवक नीचे उतरा। इसके बाद लेस उसे हिरासत में लेकर पृच्छाछ के एए थाने ले गई। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के चौखडिया गांव का है। ग्रामीणों के तालिब, गांव में पंचायत चुनाव को लेकर



माहौल गम है। टावर पर चढ़े युवक ने ग्राम प्रधान आमिर खान के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कई आरोप लगाए। हालांकि, प्रधान आमिर खान ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्षी लोग माहौल खराब करने के उद्देश्य से युवक को बहला-फुसलाकर टावर पर चढ़ाने के पीछे हैं। मां की बिगड़ी तबियत घटना की जानकारी

मिलते ही युवक के माता-पिता मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतरने के लिए लगातार मनाते रहे। इस दौरान युवक की मां गुड़िया ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पंचायत चुनाव को लेकर मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। तनाव के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई, जिन्हें परिजनोंने संभाला युवक का आरोप है कि शक्कर ने

सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे 8 प्रार्थना पत्र, 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

महामुद्राबाद (सीतापुर)। तहसील
रसर में शनिवार को अजिंठाअधिकारी
(एसडीएम) अभिषेक प्रियदर्शि की
ध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का
योजना किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या
फरियादी अपनी-अपनी समस्याएं लेकर
पहुँचे और संबंधित अधिकारियों के समक्ष
कायतों दर्ज कराईं। समाधान दिवस में
तह 68 प्रार्थना प्रत्र प्राप्त हुए, जिन में से 8
मलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण
र दिया गया। प्राप्त शिकायतों में राजस्व
भाग की 40, पुलिस की 9, विकास
भाग की 13, नगरपालिका की 5 तथा
पि विभाग की 1 शिकायत शामिल रही।
र शिकायतों को संबंधित विभागों के
धिकारियों को सौंपते हुए एसडीएम ने
देश दिए कि सभी प्रकरणों का निर्धारित
यसीसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं
तदर्थी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया
ए।

लखनऊ आमजन को सुलभ, त्वरित और किफायती व्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित स्थायी लोक अदालत जन प्रयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निस्तारण प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, जीवक प्रसार सिंह ने बताया कि स्थायी लोक अदालत, महान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में परिवहन सेवाएं, क एवं दूसरंचार सेवाएं, विद्युत एवं जलापूर्ति, वर्जनीक स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल एवं पधालय सेवाएं, बीमा सेवाएं, शैक्षिक संस्थानों पर आधारित संबंधी सेवाओं से जुड़े विवादों को निस्तारण किया जाता है। प्रभारी सचिव ने कहा कि स्थायी लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विवादों को पहले आपसी सह और समझौते के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाता है। यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो स्थायी लोक अदालत को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है।

लखनऊ आमजन को सुलभ, त्वरित और किफायती व्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित स्थायी लोक अदालत जन प्रयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निस्तारण प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, जीवक प्रभारी सह ने बताया कि स्थायी लोक अदालत, १९८७ के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में परिवहन सेवाएं, क एवं दूसरंचार सेवाएं, विद्युत एवं जलापूर्ति, वर्जनिक स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल एवं पधालय सेवाएं, बीमा सेवाएं, शैक्षिक संस्थानों, प्रभाव संबंधी सेवाओं से जुड़े विवादों को निराकरण किया जाता है। प्रभारी सचिव ने कहा कि स्थायी लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विवादों को पहले आपसी सह और समझौते के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाता है। यदि दोनों पक्षों के सह समझौता नहीं हो पाता है तो स्थायी लोक अदालत को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है।

कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटाया, अवैध चबूतरे ध्वस्त



सीतापुर। जनपद सीतापुर में शहर और तासपास के क्षेत्रों में बिना स्वीकृत लेआउट विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर ब्रिजलफ प्रशासन ने शनिवार सायन करीब चार बजे बड़ी कारावांई की। सिटी मजिस्ट्रेट नाक्षी पोंडेय के नेतृत्व में चलण्ण एट अडियान के दौरान तीन स्थानों पर करीब 2 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर ब्रिजलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया कारवांई के दौरान प्रजस्ट वडिणग और पुलिस की टौम भी क के पर मौजूद रही प्रशासन के अनुसार, सीतापुर, कनवाखेड़ा और भगवानपुर क्षेत्रों बिना वैधानिक अनुमति और स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग की जा रही थी। जांच अडियनमिततार्ण मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर कारवांई की गई। अधियान के दौरान धनीपुर गांव के पास लगभग 18 बीघा, कनवाखेड़ा में पी.एन. सहगल स्कूल पीछे करीब 4 बीघा तथा भगवानपुर में लगभग 20 बीघा भूमि पर विकसित की रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया

सीतापुर। जनपद सीतापुर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन से शनिवार शाम करीब पांच बजे बड़ी कारवाँ की। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पंडित के नेतृत्व में चलाया गए अभियान के दौरान तीन स्थानों पर करीब 42 बोया भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया कारवाँ के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही प्रशासन के अनुसार, धनीपुर, कनवाखेड़ा और भगवानपुर क्षेत्रों में बिना वैधानिक अनुमति और स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग की जा रही थी। जांच में अनियमितताएँ मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर कारवाँ की गई। अभियान के दौरान धनीपुर गांव के पास लगभग 18 बोया, कनवाखेड़ा में पी.एन. सगल स्कूल के पीछे करीब 4 बोया तथा भगवानपुर में लगभग 20 बोया भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया



गया। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पाडेय ने बताया कि यह प्लांटिंग पप्पू जायसवाल और अन्य लोगों द्वारा कराई जा रही थी। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से मौके पर बनाई गई सड़कें, सीमांकन और अन्य अवैध निर्माण हटवा दिए। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के कारण परा

अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना स्वीकृत लेआउट के किसी भी प्रकार की प्लानिंग या कॉलोनी विकसित करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत लेआउट और संबंधित विभागों से मिली अनुमति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सूचना

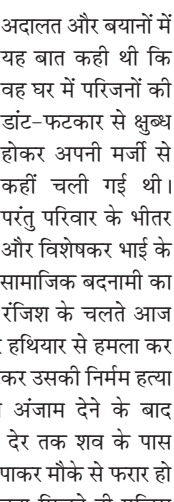
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल (व्यक्तिगत) अनुक्रमांक 40633337 वर्ष 2017-18 एवं इंटरमीडिएट (संस्थानगत) अनुक्रमांक 2257285005 वर्ष 2024-25 दोनों अंकपत्र सह प्रमाणपत्र पर से पचपेड़वा जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिला। प्रेम कुमार पुत्र बब्बू निवासी ग्राम जमधरी पोस्ट भोजपुर थारू तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश।

मे सफाई कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। संघ ने खर्च शिक्षा अधिकारी से सफाई कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। साथ ही शिक्षकों को इस संबंध में अनावश्यक जिम्मेदारी से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।

बदनामी के डर से भाई ने धारदार हथियार से की नाबालिग बहन की हत्या

महमूदाबाद-सीतापुर। तहसील के ग्राम मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बजेहरा में एक अत्यंत झकझोर के वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ बदनामी के कारण उपजे हुए वाद के चलते एक कलघुग्री भाई ने अपनी ही 16 वर्षीय नाबालिग बहन की हत्या कर दी। यहाँ रेतकर हत्या कर दी। मृतका के पड़चान सुमिता पुत्री रामराम के रूप में हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सनसनीखेज फैल गई है। पुलिस से प्राप्ति जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व राजेजनों ने आरोप लगाया था कि कोई

महमूदाबाद-सीतापुर। तहसील के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बजेहरा में एक अत्यंत झकझोर देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ बदनामी के कारण उपजे विवाद के चलते एक कलयुगी भाई ने अपनी ही 16 वर्षीय नाबालिग बहन की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतका की पद्धान सुमिता पुत्री राजाराम के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व परिजनों ने आरोप लगाया था कि कोई



फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया था। न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराने के बाद, अदालत के निर्देशानुसार नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था।

मन में इस घटना से सामाजिक बदनामी का भारी रोष था। इसी रंजिश के चलते आज सुबह भाई ने धारदार हथियार से हमला कर सुमिता का सिर काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई काफी देर तक शव के पास बैठा रहा और मौका पाकर मौके से फरार हो

सूचना

मैं मातादीन सोनी पुत्र स्वर्गीय रामदास सोनी निवासी 4 /157 रुचि खंड - 1 शरदा नगर अधियाणा लखनऊ, मैं घोषणा करता हूँ कि अपने पुत्र अनुराग सोनी व उसकी पत्नी रागिनी सोनी मेरे व मेरे परिवारवालों के अन्य लोगों के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा जैसे बंदसलुकी करते हैं इसीपर मैं तल आकर अपनी पुत्री और बहू को अपनी चंग व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है 7 आज के बाद मेरा अपने पुत्र अनुराग सोनी व बहू रागिनी सोनी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया है। अब वह अपने कर्त्यों के स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनके द्वारा किए गए कृत्यों से परिवार के अन्य सदस्यों का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

संपादकीय



अब हवाई 'नाका'

भारत के संग्रभु राष्ट्र बनने के बाद से ही पाकिस्तान देश व भारतीय समाज को क्षति पहुंचाने के तमाम षड्यंत्र रचता और उन्हें अंजाम देने की हर कोशिश करता रहा है। शक्तिशाली सेना का मुकाबला न कर पाने पर वह छत्र युद्ध, आतंकवाद व नशे के जरिये भारत को चोट पहुंचाने की साजिश करता है। जब से पाक से लगती सीमा पर कड़ी सुरक्षा बर्दी और पाक के संस्थागत सहयोग से सक्रिय तस्करी की आवाजाही बाधित हुई, उसने तकनीक व ड्रोन की मदद से नशे, नकली करेंसी व हथियार भेजने की साजिश को अंजाम देने शुरू किया। ड्रोन के जरिये लगातार नशे-हथियारों की तस्करी से पैदा खतरे के मद्देनजर, पाक सीमा से ड्रास व हथियार लाने वाले ड्रोनो को रोकने के लिये पंजाब में नई पहल हुई है। हवाई चेक प्वाइंट या 'हवाई नाके, लगाने का यह फैसला,सुरक्षा के बदलते खतरे से निपटने का एक नया और असरदार तरीका साबित हो सकता है। निस्संदेह, तस्करी करने वाले अपराधी गिरोहों ने, कानून लागू करने वाली एजेंसियों से ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पाक द्वारा संस्थागत रूप से पोषित तस्करी की जगह जीपीएस-निर्देशित ड्रोनो का इस्तेमाल शुरू किया गया। ये ड्रोन भारतीय सीमा में निर्धारित जगहों में बहुत भीतर तक हेरोइन, हथियार और गोला-बारूद गिराने में सक्षम हैं। आसमान में उड़ने वाले ड्रुमन के खिलाफ सामान्य चेक प्वाइंट कुछ नहीं कर पाते। यह सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस के लिये बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि आज पंजाब ड्रोन के जरिये होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी का मुख्य केंद्र बन गया है। देश में ज्यादातर ड्रोन तस्करी की घटनाएं पाक से लगते पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हुई हैं। दरअसल, ड्रास का कारोबार अब सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या मात्र नहीं रह गया। आज यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। जिसके प्रकोप से असंख्य परिवार बर्बाद हो गए हैं। यह एक बड़ी हकीकत है कि नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी एक बड़ा खतरा है। वास्तव में नशा तस्करी इन्हीं रास्तों का प्रयोग राष्ट्रीयरोधी ताकतों को हथियार पहुंचाने और आतंकी नेटवर्क को फौंडा के लिये करते हैं। दरअसल, हवाई नाके का विचार, सिर्फ आपराधिक घटना के बाद होने वाली पुलिस कार्रवाई से हटकर, अपराध के होने से पहले होने वाली पुलिस कार्रवाई होगी। निश्चय ही यह स्वागत योग्य बदलाव है। अब सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस की कोशिश होगी कि ड्रुस की खेप जमीन पर पहुंचाने के बाद उसे बरामद करने के प्रयास करने की बजाय, पहले ही ड्रोनो की निगरानी की जाए। जिससे समय रहते ड्रोनो का पता लगाकर, उनके उड़ने के रास्ते को ट्रैक किया जा सके। साथ ही सामान गिराने की जगहों की पहचान के बाद नशीले पदार्थों व हथियारों की आपूर्ति करने के लिये इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों को पकड़ा जा सके। साधन मयने में खुफिया जानकारी,एंटी-ड्रोन सिस्टम तथा पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स व केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ यह रणनीति तस्करी पर शिकंजा कसने में मददगार साबित हो सकती है। यह भी हकीकत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह अपना नेटवर्क समय के साथ नई तकनीकों के जरिये बदलते रहते हैं। जिसके लिये वे बड़े ड्रोन, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और लगातार बदलती रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नई तकनीक के साथ-साथ लगातार खुफिया जानकारी जुटाने तथा तस्करी करने वाले गिरोहों को खत्म करने के लिये निरंतर मजबूत फाइनेंशियल जांच जरूरी है। इसके अलावा इनके मददगार लोगों पर तेजी से कानूनी कार्रवाई करना भी जरूरी है। कोशिश हो कि नशे के खिलाफ अभियान में नागरिकों की सक्रिय भूमिका हो। इसके लिये सामाजिक स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रम चलाकर नशे के विरुद्ध अभियान चालना भी जरूरी है। जिसके तहत नशा छुड़ाने, नशा छोड़ने वालों का पुनर्वास करने तथा जागरूकता के लिये असरदार कार्यक्रम चालने की भी जरूरत है। सही मायने में यदि 'हवाई नाकों' को पर्याप्त संसाधनों के साथ अमली-जामा पहनाया जाए, तो निश्चित तौर पर ये सीमा पार से होने वाली नशे की तस्करी पर अंकुश लगा सकते हैं।

व्याघ्रासन से कमर दर्द में राहत, बढ़े आत्मविश्वास

लंबे समय तक दफ्तर में बैठकर काम करने वालों के लिए व्याघ्रासन (टाइगर पोज) लाभदायक योगासन माना जाता है। यह न केवल कमर और पीठ दर्द से राहत दिलाता है, बल्कि शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी सहायक है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, व्याघ्रासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर दर्द, साइटिका और शरीर की अकड़न में राहत मिलती है। इस आसन के दौरान पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है, जिससे गैस, कब्ज जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है और भोजन का पाचन बेहतर होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह योगासन मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही शरीर में रक्त संचार बेहतर होने से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पहुंचते हैं। इससे हाथ, पैर और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती



हैं तथा थकान कम महसूस होती है। व्याघ्रासन का नियमित अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। इसे करने के लिए योगा मैट पर घुटनों और हथेलियों के बल आएं। गहरी सांस लेते हुए एक पैर को पीछे की ओर सीधा उठाएं और गर्दन को ऊपर की ओर रखें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़कर छाती की ओर लाएं और पीठ को गोलाकार बनाएं। यही प्रक्रिया दूसरी टांग से भी दोहराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर कमर दर्द, रीढ़ की चोट, घुटनों की समस्या या गर्भावस्था के दौरान यह आसन केवल प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना गलती होना नहीं, बल्कि उसे उपलब्धि के प्रमाणपत्र से ढक देना है। जब सच कागजी चमक में छिपने लगे, तब व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र मंत्रालय की कैंटीन इसका प्रतीक बनकर सामने आई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्वच्छता और अनुपालन में अद्गुनवे प्रतिशत अंक दिए और परिसर को मक्खी-कीट मुक्त बताया। रिपोर्टें आदर्श दिखीं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने उसकी चमक फीकी पड़ गई। अदालत ने रेंटिंग को 'हास्यास्पद' बताते हुए 'एक भी कीट नहीं?' जैसी टिप्पणी की और चार वकीलों की टीम को एफडीए अधिकारियों के साथ जांच के लिए भेजा। यह केवल कैंटीन की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहाँ सुधार से अधिक निर्दोष दिखने वाली रिपोर्ट बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सत्ता का आधार उसका नैतिक अधिकार होता है, जो कानून बनाने या आदेश देने से नहीं, बल्कि आचरण से अर्जित होता है। जब शासन दूसरों के लिए कठोर नियम तय करता है, स्वच्छता के नाम पर निजी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, तो उससे अपेक्षा होती है कि वह

स्वयं भी उन्हीं कसौटियों पर खरा उतरे। लेकिन जब वही व्यवस्था अपनी मंत्रालय की कैंटीन को पूर्णता का प्रमाणपत्र दे और न्यायपालिका उस दावे पर सवाल उठा दे, तो यह दोहरे मापदंड को उजागर करता है। जो व्यवस्था अपनी थाली की सच्चाई नहीं परख सकती, वह समाज की थाली की सुरक्षा का भरोसा कैसे पैदा करेगी? सत्ता की असली स्वच्छता भाषणों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के आचरण में दिखाई देती है। यह मामला केवल भोजन की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक संस्कृति का प्रतीक है जहाँ अंक और प्रमाणपत्र उपलब्धि पर भारी पड़ने लगे हैं। आज कई क्षेत्रों में मूल्यांकन की चमक, जमीनी सच्चाई से अधिक महत्व देने लगी है। परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियाँ हों, आपदा राहत के आंकड़ों और स्थिति में अंतर हो या योजनाओं की सफलता रिपोर्टों में दिखाई दे—हर जगह यही प्रवृत्ति नजर आती है। मंत्रालय की कैंटीन इसका छोटा लेकिन तीखा उदाहरण है। निरीक्षण की सूची पूरी हुई और अंक मिल गए, लेकिन सवाल है कि क्या अंक अनुभव का स्थान ले सकते हैं? लोकतंत्र में सम्मान प्रतिशत से नहीं, भरोसे से मिलता है। जब शासन की घोषणाएँ और जनता का अनुभव अलग दिशा में चलें, तो विश्वास की दूरी बढ़ती

जाती है। खाने की सुरक्षा को केवल स्वास्थ्य का विषय मानना इस प्रसंग को सीमित करना होगा। भोजन नागरिक गरिमा और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ा प्रश्न है। मंत्रालय वह स्थान है जहाँ राज्य की दिशा तय होती है, नीतियाँ बनती हैं और जनता के लिए नियम निर्धारित होते हैं। यदि ऐसे स्थान पर सुरक्षा केवल फाइलों में हो और वास्तविकता जानने के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, तो यह व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय है। बॉम्बे हाईकोर्ट की उस प्रशासनिक संस्कृति का प्रतीक है जहाँ अंक और प्रमाणपत्र उपलब्धि पर भारी पड़ने लगे हैं। आज कई क्षेत्रों में मूल्यांकन की चमक, जमीनी सच्चाई से अधिक महत्व देने लगी है। परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियाँ हों, आपदा राहत के आंकड़ों और स्थिति में अंतर हो या योजनाओं की सफलता रिपोर्टों में दिखाई दे—हर जगह यही प्रवृत्ति नजर आती है। मंत्रालय की कैंटीन इसका छोटा लेकिन तीखा उदाहरण है। निरीक्षण की सूची पूरी हुई और अंक मिल गए, लेकिन सवाल है कि क्या अंक अनुभव का स्थान ले सकते हैं? लोकतंत्र में सम्मान प्रतिशत से नहीं, भरोसे से मिलता है। जब शासन की घोषणाएँ और जनता का अनुभव अलग दिशा में चलें, तो विश्वास की दूरी बढ़ती

और सरकारी प्रतिष्ठानों पर नरम मूल्यांकन सामानता के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। व्यवस्था जब अपने लिए अलग कसौटी अपनी है, तो उसकी नैतिक शक्ति घटती है। शासन की असली प्रतिष्ठा प्रमाणपत्रों से नहीं, बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और आचरण से बनती है। सुधार का रास्ता केवल नई रेंटिंग व्यवस्था बनाने से नहीं, बल्कि उस सोच को बदलने से निकलेगा जो कागजी सफलता को उपलब्धि मान लेती है। निरीक्षण प्रक्रिया में उन लोगों के अनुभव शामिल होने चाहिए, जो प्रतिदिन उस व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। कर्मचारी, अधिकारी और भोजन करने वालों की राय को मूल्यांकन का आधार बनाया जाना चाहिए। अचानक निरीक्षण, पारदर्शी रिपोर्ट और सरकारी व निजी संस्थानों के लिए समान नियम ही विश्वास मजबूत कर सकते हैं। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल मंचों की जवाबदेही या आपदा राहत की जमीनी समीक्षा—हर क्षेत्र में एक सिद्धांत लागू होना चाहिए कि आंकड़ों की चमक से पहले वास्तविकता को महत्व मिले। मंत्रालय की कैंटीन का यह प्रसंग सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं प्रमाणपत्रों की चमक में वास्तविकता और सत्य पीछे तो नहीं छूट रहे। अद्गुनवे प्रतिशत अंक आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन जनता का

विश्वास रिपोर्ट कार्ड से नहीं, बल्कि व्यवस्था की ईमानदारी और आचरण से अर्जित होता है। अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधार का साहस ही किसी संस्थान की शक्ति होती है। जो शासन आत्मालोचना से नहीं डरता, वही लंबे समय तक सम्मान और भरोसा कायम रखता है। कागजों पर चमकती उपलब्धियाँ कुछ समय प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का आधार सच्चाई, पारदर्शिता और ईमानदारी ही बनती है। जब किसी व्यवस्था की चमकदार रिपोर्टें और जमीनी सच्चाई में अंतर दिखाई देने लगे, तो प्रश्न केवल एक घटना का नहीं, पूरी सोच का बन जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी इसी प्रशासनिक मानसिकता पर चोट है, जहाँ वास्तविकता सुधारने से अधिक उसे बेहतर दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सत्ता की असली स्वच्छता फाइलों, प्रमाणपत्रों और प्रतिशतों में नहीं, बल्कि व्यवहार और फैसलों में झलकती है। थाली में परोसे भोजन और रिपोर्टों में लिखे सत्य के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र केवल नियमों से नहीं, जनता के विश्वास से चलता है। विश्वास अद्गुनवे प्रतिशत अंकों से नहीं, पारदर्शी और ईमानदार आचरण से अर्जित होता है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

राष्ट्रीय सम्मान व संवैधानिक स्वतंत्रता का संतुलन



वंदे मातरम २ केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा, राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष और सांस्कृतिक राष्ट्रचेतना का अमर प्रतीक है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में प्रकाशित 'आनंदमठ' में रचित इस गीत ने पराधीन भारत में स्वतंत्रता की चेतना को स्वर दिया। 1905 के बंग-भंग आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणात्रय बना रहा। इसी ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए संविधान सभा ने 'जन-गण-मन' को राष्ट्रगान तथा 'वंदे मातरम २' को राष्ट्रीय गीत के रूप में समान सम्मान प्रदान किया। किंतु दोनों के विधिक संरक्षण में लंबे समय से एक असमानता बनी रही, जिसे दूर करने के उद्देश्य से अब संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पास किया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना अथवा उसके गायन के दौरान सभा में व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध होगा। इस संशोधन से पहले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 केवल 'राष्ट्रध्वज' और 'राष्ट्रगान' के अपमान को दंडनीय अपराध घोषित करता था तथा राष्ट्रीय गीत इस संरक्षण से बाहर था। परिणामस्वरूप, वंदे

मातरम २ के जानबूझकर अपमान पर इस विशेष कानून के अंतर्गत कार्रवाई संभव नहीं थी। अब इस संशोधन ने इस विधिक रिक्तता को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के बराबर संरक्षण प्रदान कर दिया है। इस कदम का समर्थन करने वालों का तर्क है कि जब संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को समान सम्मान दिया था, तो उनके विधिक संरक्षण में भी समानता होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि वंदे मातरम २ केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, इसलिए उसकी गरिमा को रक्षा आवश्यक है। वहीं, विरोधियों ने आशंका व्यक्त की है कि इसका दुरुपयोग संरक्षण से बाहर था। परिणामस्वरूप, वंदे

के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। जहां एक तरफ अनुच्छेद 19(1)(क) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 19(2) राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए कानून के जरिए किसी नागरिक को वंदे मातरम २ गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वहीं इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर अपमान करने वालों पर रोक लगाना और उसकी गरिमा की रक्षा करना है और संभवतः यही इस संशोधन का

वास्तविक उद्देश्य भी है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का 'बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य' (1986) का निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि किसी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि वह सम्मानजनक व्यवहार करता है और कोई अपमानजनक आचरण नहीं करता। इस निर्णय का मूल सिद्धांत स्पष्ट है कि 'सम्मान' और 'अनिवार्यता' दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। कानून सम्मान को तो सुनिश्चित कर सकता है, किंतु श्रद्धा का बाध्य नहीं किया जा सकता। यही संवैधानिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में भी मार्गदर्शक रहेगा। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 51(क) में 'राष्ट्रध्वज' और 'राष्ट्रगान' के सम्मान को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है, लेकिन वहां भी राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और संविधान सभा द्वारा प्रदान किए गए सम्मान को देखते हुए उसके प्रति आदर भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का स्वाभाविक हिस्सा है। राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व केवल विधिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी होता है। निःसंदेह, कानून का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और नागरिक

उत्तरदायित्व की रक्षा करना है। वास्तविक राष्ट्रीय सम्मान केवल दंडात्मक प्रावधानों से स्थापित नहीं होता। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान और अंग्रेजों के वंदे मातरम २ की ऐतिहासिक भूमिका के प्रति जागरूकता विकसित करना भी एक प्रभावी उपाय है। जब नागरिक किसी राष्ट्रीय प्रतीक के महत्व को समझते हैं, तब उसका सम्मान स्वाभाविक रूप से उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। कानून इस सम्मान का संरक्षक हो सकता है, उसका विकल्प नहीं। वंदे मातरम २ भारत की ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय आत्मगौरव का अभिन्न अंग है। डेढ़ सौ वर्षों से निरंतर वंदे मातरम २ साहस, एकता और राष्ट्रप्रेम का अमर प्रेरणा-स्रोत बना हुआ है। अब जब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 कानून का रूप ले चुका है, तो राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के समान विधिक संरक्षण प्राप्त हो गया है।

किंतु इसका संफलता केवल दंडात्मक प्रावधानों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि राष्ट्रीय सम्मान और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाता है। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि वह राष्ट्रभक्ति और नागरिक स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानता है।

मानसून में बढ़ा लू का खतरा



मानसून के दौरान फलू और अन्य वायरल संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मेडिसिन विभाग के डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि इन दिनों बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में खांसी, जुकाम, बुखार और शरीर दर्द की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉ. सिन्हा के अनुसार, फलू के सामान्य लक्षणों में गले में खराश, नाक बहना, सूखी खांसी, तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और

बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय, गुर्दे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे लोगों को लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉ. सिन्हा ने बताया कि इन्फ्लूएंजा की पुष्टि के लिए नाक या गले से नमूना लेकर आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। संक्रमण की पुष्टि होने पर रोगी को एंटीवायरल दवाएँ, बुखार के लिए

पैरासिटामोल, पर्याप्त आराम और अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को कम से कम दो से तीन दिन तक घर में रहकर स्वयं को अलग रखना चाहिए। इस दौरान मास्क पहनना, भीड़भाड़ से बचना तथा खांसते या छींकते समय मुँह और नाक को रुमाल या टिशू से ढँकना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लूएंजा संक्रमित व्यक्ति की छींक और गले से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से तेजी से फैलता है। डॉ. सिन्हा ने बताया कि मानसून में तापमान और नमी में

लगातार बदलाव वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में फलू का खतरा अधिक रहता है। वर्षा ऋतु में फलू का खतरा कम होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेज बुखार कई दिनों तक बना रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन स्तर कम हो, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो या पेशाब कम हो, तो तुरंत अस्पताल पहुँचना चाहिए। समय पर उपचार न मिलने पर संक्रमण निमोनिया का रूप ले सकता है और मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ सकती है।

रातों-रात बदलाव के कथानक भी लुभाते रहे हैं दर्शकों को

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समय-समय पर इसने समाज का आईना बनने के साथ राजनीतिक-सामाजिक चेतना के जगाने का काम भी किया। जब व्यवस्था में भ्रष्टाचार, निरंकुशता और सांप्रदायिक विषैलेपन का बोलबाला हुआ, तब सिनेमा के परदे पर ऐसे 'जना नायकन' की कहानी पिता-पुत्री के भावनात्मक रिश्ते, सशक्तिकरण और डर से संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। अपने मित्र अनुभवों को सहयोग लेना उपयोगी रहेगा।



कारण एक गहरे डर से जूझ रही है, जो छोटी सी आवाज से सिहर उठती है। वेद्री का उद्देश्य केवल उसे सेना में शामिल कराना ही नहीं, बल्कि उसके भय को समाप्त कर उसे आत्मनिर्भर बनाना है। कहानी तब एक बड़ा मोड़ लेती है, जब इसमें जॉन हिमलर (बांबी देओल) के रूप में खतरनाक खलनायक का प्रवेश होता है। वेद्री कॉइन का चरित्र ऐसे नायक के रूप में उभरता है, जो धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। फिल्म 'जना नायकन' को अपार इस परिदृश्य में रखकर थलपति वेद्री कॉइन (विजय) उनकी बेटी बिजी (ममिता बैजू) के संरक्षक की भूमिका निभाता है। बिजी मानसिक आघात के

त्वरित फैसलों से बदलने का विचार नया नहीं है। हिंदी फिल्म 'नायक' इसका ज्वलंत उदाहरण है। एस शंकर के निर्देशन में बनी और अनिल कपूर द्वारा जीवंत की गई इस फिल्म में एक पत्रकार (शिवाजी राव) को एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। समय की बाध्‍यता के कारण शिवाजी राव औपचारिकताओं में उलझने के बजाय कड़े और त्वरित आदेश जारी करता है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को निर्लंबित करना, कालाबाजारी रोकना और समस्याओं का मौके पर ही निवारण करना जैसी उसकी शैली ने जनता को काल्पनिक लेकिन संतोषजनक राहत दी थी। अमिताभ, देवगन भी बने बदलाव के प्रतीक लोकतांत्रिक चेतना और व्यवस्था से टकराव की भावना अमिताभ बच्चन की फिल्म 'इंकलाब' में भी देखने को मिली है। आठवें दशक में जब राजनीति और अपराध का गठजोड़ चरम पर था, 'इंकलाब' का नायक भ्रष्टाचार और राजनीतिक सड़न को मिटाने के लिए अतिवादी, लेकिन लोकतांत्रिक शुद्धिकरण का रास्ता चुनता है। इसी कड़ी में प्रकाश झा का फिल्म 'राजनीति' और 'सत्याग्रह' का नाम भी लिया जा सकता है।



मेघ -आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई नई योजनाएं भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
वृषभ -आज आपके रके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा।
मिथुन -आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों वाला रहेगा। परिवार में आपके कार्यों की सरहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं।

हो सकती है।
वृश्चिक -आज मेहनत और धैर्य के बल पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। विरोधियों की कोशिशों के बावजूद आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे।
धनु -आज व्यापार में हर निर्णय सोच-समझकर लेना आवश्यक रहेगा। अनुभवों को लाने का साहस आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा और वातावरण अनुकूल रहेगा।
मकर -आज का दिन समस्याओं के समाधान लेकर आ सकता है। परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास सफल होंगे।
कुंभ -आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्ययन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
मीन -आज का दिन सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा। व्यापार में लाभ के लिए अनुभवों को सहयोग लेना उपयोगी रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहकर अपना कार्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा।

कर्क -आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा।
सिंह -आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का है। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा।
कन्या -आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति, प्रशासन या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रभाव बढ़ाने के संकेत हैं।
तुला -आज का दिन नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। कांक्षेत्र में किसी करीबी व्यक्ति से चल रही नाराजगी समाप्त

सहायता के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। समारोह के दौरान कुल 202 पुलिसकर्मियों को मानद पदोन्नति प्रदान की गई। इनमें हेड कॉन्स्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर 7, सहायक उपनिरीक्षक (एसआई) से उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर 37 तथा उपनिरीक्षक (एसआई) से निरीक्षक (इंस्पेक्टर) के पद पर 158 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह का सम्मान संयुक्त पुलिस अधीक्षक (मुहल्ला) सुमन गोयल (आईपीएस) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, सम्मानित किए गए सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों तथा उनके परिवारजन उपस्थित रहे। सम्मान और गौरव से परिपूर्ण यह समारोह सभी के लिए यादगार बन गया।

